आयकर विभाग ने छापे मारे | **जयपुर-अजमेर सहित प्रदेश में 11 ठिकानों पर कार्रवाई**

एआइ से उजागर हुआ टैक्स का फर्जीवाड़ा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . आयकर विभाग ने राजनीतिक चंदों में फर्जी कटौती के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी उन लोगों पर केंद्रित है, जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80जीजीसी के तहत फर्जी बिलों के आधार पर टैक्स में कटौती का दावा किया था। राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ सहित 5 शहरों में 11 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। विभाग ने पाया कि कई करदाता, कुछ प्रोफेशनल मध्यस्थों की मदद से, बिना किसी आधार के बढ़ा-चढ़ाकर फर्जी क्लेम कर रहे थे।

पढ़ें **एआइ** @ पेज 09

एआइ और डेटा एनालिटिक्स की मदद: विभाग ने एआइ और डेटा एनालिटिक्स की मदद से उन करदाताओं को चिन्हित किया, जो जाली दस्तावेज जमा करके टैक्स में छूट हासिल कर रहे थे।

पहले दी चेतावनी, अब एक्शन शुरू

इस बड़े क्रैकडाउन से पहले आयकर विभाग ने एक कैंपेन शुरू किया था। इसका मकसद करदाताओं को उनके संदिग्ध और बिना दस्तावेजों के क्लेम के बारे में आगाह करना था। करदाताओं को सलाह दी थी कि वे अपने रिटर्न को दोबारा जांच लें और अगर कोई गलती हुई है, तो रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर दें। ऐसा न करने पर करदाताओं को नोटिस, पेनल्टी, ब्याज या फिर इनकम टैक्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

केवल कागजों में संस्थाएं

डिपार्टमेंट ने पाया कि कुछ संगठित रैकेट्स करदाताओं को गलत तरीके से टैक्स बचाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इन रैकेट्स ने न सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाए, बल्कि कई बार गैर-रजिस्टर्ड या संदिग्ध संस्थाओं के जरिए फर्जी डोनेशन का पेपरवर्क भी तैयार किया। डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स चोरी में मदद करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।